राजभाषा पत्रिका RAJBHASHA MAGAZINE

मधुकोष

वर्ष -2023

अंक -29

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

कॉर्डाइट निर्माणी अरूवनकाडु

मधुकोष

MADHUKOSH

अंक ISSUE - 29

मुख्य संरक्षक -- श्री पंकज गोयल, महाप्रबंधक

संरक्षक -- श्री डी.मल्लिक, अपर महाप्रबंधक

-- श्री भारतीय विजयकुमार, अपर महाप्रबंधक

प्रधान संपादक -- श्री सुरेष कुमार चिक्काला, संयुक्त महाप्रबंधक

संपादक -- श्रीमती मीरा रॉय, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

सह संपादक -- डॉ.एम.अनंतपद्मनाभ भट्ट,कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

सहयोग -- जी.मुहम्मद कासिम, हिंदी टंकक

मुख पृष्ठ -- ई.रॉबर्ट, कनिष्ठ कार्यप्रबंधक

मधुकोष

MADHUKOSH

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु

वर्ष 2023

अंक ISSUE - 29

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं । निर्माणी का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है ।

केवल प्रतिबंधित वितरण हेतु ।

अनुक्रमणिका

			पृष्ठ सं.
1.	संपादकीय		4
2.	संदेश		5
3.	संदेश		6
4.	संदेश		7
5.	संदेश		8
6.	सरस्वती वंदना		9
7.	नैतिक मूल्य	मीरा रॉय	10
8.	अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस	मीरा रॉय	13
9.	राजभाषा हिन्दी, बिन्दु-बिन्दु विचार	डॉ.एम.अनंतपद्मनाभ भट्ट	14
10.	स्वाधीनता के बाद का भारत	रामकृष्ण	19
11.	राजभाषा नियम - 1976	राजभाषा अनुभाग	22
12.	देशभक्ति(कविता)	रामकृष्ण	28
13.	गीतांजली	राजभाषा अनुभाग	29
14.	शिक्षा का महत्व	सुकुमार घोषाल	32
15.	पुष्प की अभिलाषा	सुकुमार घोषाल	33
16.	भारत के प्रथम	राजभाषा अनुभाग	34
17.	तथ्य	राजभाषा अनुभाग	35
18.	फलों और सब्जियों से चिकित्सा	राजभाषा अनुभाग	36
19.	महादेवी वर्मा - एक परिचय	मीरा रॉय	39
20.	माँ का आँचल कितना प्यारा	जी.मुहम्मद कासिम	43

संपादकीय

साहित्यकारों ने भाषा और साहित्य की तुलना नदियों से की है । नदी जिस प्रकार अपने उद्भव से लेकर सागर में मिलन तक निरंतर अपने स्वरूप को बदलती रहती है, उसी प्रकार भाषा भी समाज में अलग-अलग रूपों में गतिमान रहती है । इसी प्रकार हिन्दी का उद्भव एवं विकास भी इससे अपवाद नहीं है । हिन्दी अपने उद्भव से लेकर जन भाषा, समाज की भाषा, बड़े भूखंड की भाषा, सूचना के संप्रेषण की भाषा, स्वतंत्रता प्राप्ति की भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में किस प्रकार अपना स्वरूप स्थापित किया, इस के लिए इतिहास साक्षी है ।

हिन्दी के उद्भव एवं विकास पर चर्चा के समय यह बात सुस्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि हिन्दी ने आदि काल से ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से अपने विकास की गति को देश और विदेशों में जारी रखा । हिन्दी की लोकप्रियता का आधार देश, काल और परिस्थिति की हर कसौटी पर खरी उतरी है । यदि उपयोगिता के इस पैमाने को साक्षात् रूप में समझने का प्रयास किया जाए तो यह बात सुस्पष्ट होती है कि वही भाषा सर्वाधिक लोकप्रिय होती है जो कितनी अधिक सहजता के साथ लोक आवश्यकता को अपने कंधे पर वहन कर सकती है । किसी घटना विशेष के परिप्रेक्ष्य में यदि हम स्वतंत्रता आंदोलन को ही देखें तो यह बात पुन: प्रमाणित होती है कि उस समय संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के भाव को जिस भाषा ने जन-जन तक पहुँचाया वह हिन्दी ही थी । स्वतंत्रता पूर्व 1918 में महात्मा गाँधी द्वारा दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना सिर्फ हिन्दी के विकास को लक्षित करके नहीं हुई थी, परंतु इस के पीछे एक महान उद्देश्य था कि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक मजबूत कड़ी तैयार करना । अनेक राजा-महाराजाओं द्वारा हिन्दी की लोकप्रियता के प्रमाणों की चर्चा की जा चुकी है । इस प्रसंग में 170 वर्ष पूर्व त्रावनकोर नामक देशी रियासत के महाराजा स्वातितिरुनाल के हिन्दी गीतों की चर्चा करना हिन्दी के उस संत को समर्पित श्रद्धांजली होगी । केरल के हिन्दी विद्वान एन.ई.विश्वनाथ अय्यर के अनुसार श्री स्वातितिरुनाल द्वारा लिखित अनेक संस्कृत और मलयालम गीत श्रेणियों में अब तक उपलब्ध 37 हिन्दी गीतों में दक्षिण भारत के एक ऐसे राजकाल का दर्शन दिया है, जहाँ हिन्दी के विकास और लोकप्रियता आश्चर्यजनक ढंग से उन्नति के शिखर पर थी ।

आधुनिक युग में हिन्दी ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी और मास मीडिया कम्यूनिकेशन के क्षेत्र में नित्य प्रति प्रगति कर रही है और अपनी उपयोगिता की हर परिसीमा को पार कर रही है । उससे हमें यही आभास होता है कि हिन्दी के विरुद्ध उठनेवाली हर आवाज़ निरर्थक और बेकार है क्योंकि धरती के हर कोने में हिन्दी अपना साम्राज्य अवश्य स्थापित करने में समर्थ होगी । इसी उम्मीद और आशा के साथ मधुकोष के 29 वाँ अंक सुधी पाठकों के समक्ष समर्पित कर रहे हैं ।

संपादक मंडल

पंकज गोयल, भा.आ.नि.से
महाप्रबंधक
PANKAJ GOEL, I.O.F.S
General Manager

कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु
Cordite Factory Aruvankadu
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई
A unit of Munitions India Ltd.,
भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय
A Govt. of India enterprise
Ministry of Defence

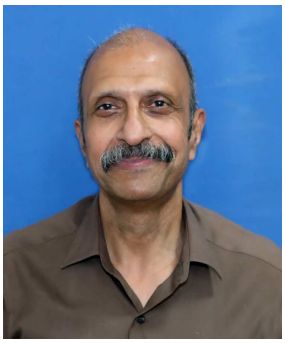

अ.शा.पत्र सं.4825/रा.भा/11/23 दि.14/09/2023

संदेश

मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में वार्षिक राजभाषा पत्रिका मधुकोष के 29 वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है । इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रचनात्मक प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करना है ।

प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी एक सर्वमान्य भाषा राष्ट्रभाषा होती है । वह राष्ट्र की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है । भारत के संविधान सभा द्वारा हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी है । हम सब जानते हैं कि हिन्दी हमारी राजभाषा है । यह अत्यंत सरल एवं अधिकतम प्रयुक्त भाषा है । सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत होने के कारण इस के विकास की जिम्मेदारी भी हमारी है । किसी भी भाषा का जितना प्रयोग होता है वह उतनी ही समृद्ध होती है । भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार हमें अपनी राजभाषा में कार्य करना है । इससे हम अपनी राजभाषा को उचित सम्मान देने के साथ-साथ अपना संवैधानिक दायित्व भी निभा सकेंगे । कार्यालय में हिन्दी भाषा का प्रयोग गौरव का प्रतीक है । मैं यह मानता हूँ कि सी एफ ए में आंतरिक कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं । समय के माँग के अनुसार निर्माणी में अत्पादन की चुनौती का सामना करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में भी हम प्रभावी कदम रखकर अग्रेसर कर रहे हैं ।

मुझे प्रसन्नता है कि मधुकोष का यह अंक संपूर्ण साहित्यिक विधाओं से परिपूर्ण है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि मधुकोष का यह अंक अपने उद्देश्य में सफल होगा ।

(पंकज गोयल)
महाप्रबंधक

डी.मल्लिक, भा.आ.नि.से.
अपर महाप्रबंधक
D.MALLIK, I.O.F.S
Addl.General Manager

कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु
Cordite Factory Aruvankadu
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई
A unit of Munitions India Ltd.,
भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय
A Govt. of India enterprise
Ministry of Defence

अ.शा.पत्र सं.4825/रा.भा/11/23 | दि.14/09/2023

<u>संदेश</u>

मुझे इस बात पर बहुत खुशी हो रहा है कि कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु के हिन्दी पत्रिका मधुकोष का 29 वें अंक का प्रकाशन हिन्दी दिवस पर किया जा रहा है। गृह पत्रिका का प्रकाशन कार्मिकों की छिपी प्रतिभाओं को जागृत करने एवं राजभाषा की प्रति अपने दायित्व को निभाने का विशेष मंच प्रदान करने में सफल होगा।

पत्रिका एक ओर जहाँ कार्यालय के कार्यकलापों का दर्पण होती है, वही हिन्दी माध्यम से इसका प्रस्तुतिकरण राजभाषा के प्रचार-प्रसार में सहायक भी होता है । हिन्दी दिवस के अवसर पर आइए संकल्प लें कि वर्ष भर हम अधिक से अधिक अपना मूल कार्य सरल एवं सुबोध हिन्दी में करेंगे और अपना संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करेंगे।

आशा करते हैं कि यह मधुकोष पत्रिका आप सभी सुधी पाठकों के लिए सूचनाप्रद व ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी।

देवव्रत मल्लिक
(डी. मल्लिक)
अपर महाप्रबंधक

भारतीय विजयकुमार, भा.आ.नि.से.
अपर महाप्रबंधक
BHARTIYA VIJAYAKUMAR, I.O.F.S
Addl.General Manager

कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु
Cordite Factory Aruvankadu
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई
A unit of Munitions India Ltd.,
भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय
A Govt. of India enterprise
Ministry of Defence

अ.शा.पत्र सं.4825/रा.भा/11/23 दि.14/09/2023

संदेश

हिन्दी दिवस के अवसर पर कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु के हिन्दी पत्रिका "मधुकोष" का प्रकाशन किया जा रहा है । मुझे खुशी है कि इस कार्यालय के समायोजित प्रयासों से यह पत्रिका राजभाषा कार्यान्वयन की दिशा में हमारी साहित्यिक प्रतिभा को प्रतिबिंबित करने वाली एक छवि बनकर उभरी है ।

आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है । सूचना प्रौद्योगिकी ने हमें यह दिखाया है कि उसमें कठिन से कठिन कार्य को भी सरल करने की क्षमता है । अतः सी.एफ.ए में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम के साथ-साथ समन्वयन का कार्य करते हुए, हिन्दी के प्रयोग को अधिक से अधिक बढ़ाने के प्रयास किया जा रहा है ।

" मधुकोष" अपने 29 वें अंक पर पहुँच चुकी है जो कि "ग" क्षेत्र के पत्रिका के प्रकाशन में सफलता का सूचक है । मुझे प्रसन्नता है कि मधुकोष अंक संपूर्ण साहित्यिक विधाओं से परिपूर्ण है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि मधुकोष का यह अंक अपने उद्देश्य में सफल होगा।

(भारतीय विजयकुमार)
अपर महाप्रबंधक

सुरेष कुमार चिक्काला, भा.आ.नि.से.
संयुक्त महाप्रबंधक
SURESH KUMAR CHIKKALA, I.O.F.S
Jt.General Manager

कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु
Cordite Factory Aruvankadu
म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की इकाई
A unit of Munitions India Ltd.,
भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय
A Govt. of India enterprise
Ministry of Defence

अ.शा.पत्र सं.4825/रा.भा/11/23 दि.14/09/2023

संदेश

मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्न्ता हो रही है कि कॉर्डाइट निर्माणी अरुवनकाडु की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में वार्षिक राजभाषा पत्रिका मधुकोष के 29 अंक का प्रकाशन किया जा रहा है । इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना भी है ।

हिन्दी के प्रचार-प्रसार हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति विविध नये- नये प्रयोग अपना रही है । अधिकारियों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन, अनुभागवार कार्यशाला का आयोजन, दैनंदिन कार्य में प्रयोग होने वाले प्रशासनिक पदबंधों का परिचालन, विश्व मातृभाषा दिवस का आयोजन आदि इन में उल्लेखनीय है । अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर राजभाषा कर्मियों द्वारा मानव संसाधन अनुभाग में अनुवाद के विषय पर जो व्याखायन दिया, इसे अनूठे कार्यक्रम के रुप में सभी दर्शकों ने सराहा । राजभाषा संवर्ग से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का योगदान इन सभी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । दैनिक कामकाज में हिन्दी में करना एवं इसके निरंतर प्रयोग से हिन्दी में सहजता बढ़ाने के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजभाषा को अपना स्थान हासिल करेंगे ।

मेरी हार्दिक कामना है कि पत्रिका का प्रकाशन अपने उद्देश्य में सार्थक हो तथा सफलता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करें तथा इसके प्रकाशन से जुड़े सभी कार्मिकों को हार्दिक शुभकामनाएँ ।

सुरेष कुमार चिक्काला

(सुरेष कुमार चिक्काला)
संयुक्त महाप्रबंधक

सरस्वती वंदना

जय-जय हंसवाहिनी अंबे ।
श्वेत कमलवासिनी जगदंबे ।।

शुभ्र वसन माँ सदा तुम्हारे ।
श्वेत सुमन की माला धारे ।।
कर में वेद सँवारे अंबं ।।

वीणा की झंकार निराली ।
ज्ञान चेतना भरनेवाली ।।
मेधा दीप जला दे अंबे ।।

शब्द ताल स्वर देनेवाली ।
तेरा कोष कभी ना खाली ।।
वितरण से बढ़ता है अंबे ।।

दे मुझको भी ज्ञान भगवती ।
मैं बालक नादान भगवती ।।
आया शरण तुम्हारी अंबे ।।

नैतिक मूल्य

सार्वभौमिक मानवीय मूल्य, शिक्षा और पारिवारिक दायरे सहित विभिन्न चरणों में मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । वैश्विक स्तर पर, नैतिक मूल्य तो शांति और स्थिरता का आधार बनते हैं । "नैतिकता" तो स्थिर एवं सुचारु जीवन का आधार है । जिस समाज में नैतिकता और नैतिक मूल्यों को उचित सम्मान दिया जाता है, वह प्रगति और समृद्धि की सीढ़ी पर चढ़ता है । चाहे आप एक छात्र हों, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर या व्यवसायी के रूप में कार्यरत हों, आपको समृद्ध और स्वस्थ जीवन के लिए नैतिकता के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है ।

परिवार लोगों और समाज के प्रति बच्चे के दृष्टिकोण को आकार देता है, मानसिक विकास में सहायता करता है और बच्चे के लक्ष्यों और मूल्यों का समर्थन करता है । खुशहाल और आनंदमय वातावरण से परिवार में प्रेम, स्नेह, सहनशीलता और उदारता का विकास होगा । एक बच्चा अपने वातावरण में जो देखता है उसका अनुकरण करके व्यवहार करना सीखता है।

जब कोई बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है, तो उसका व्यवहार घर की संस्कृति यानी पारिवारिक दायरे पर निर्भर करता है । प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली जीवन में, उसके व्यवहार पर दोस्तों और शिक्षकों का बड़ा प्रभाव होता है, यानी स्कूल का दायरा । जब वह कॉलेज या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करता है, तो सामाजिक दायरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिसका मानवता और नैतिक क्षमताओं पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है । व्यक्ति का समग्र व्यक्तित्व उन मंडलों पर निर्भर करता है । यह स्पष्ट है कि छात्रों में और अंततः कार्यस्थल में, सकारात्मक तरीके से नैतिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए मानवीय मूल्यों की शिक्षा कितनी आवश्यक है ।

बच्चे के नैतिक मूल्यों के विकास में परिवार और समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । माता-पिता और बच्चों का घनिष्ठ संबंध होता है, जिसका प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पर पड़ता है । मूल्यों का निर्माण परिवार की नींव पर होता है । ईमानदारी, खुशी, शांति और न्याय जैसे नैतिक मूल्य बच्चों के विचारों, भावनाओं और कार्यों में स्थापित होते हैं, और वे आदर्श और मानकों के रूप में कार्य करते हैं जो जीवन में उनके कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं । यदि परिवार के युवा सदस्यों को व्यवस्थित तरीके से नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, तो परिवार में प्रचलित मूल्य प्रणाली उनके लिए स्वचालित हो जाती है ।

परिवार बच्चे को समाजीकरण में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बच्चे के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है । परिवार में बुजुर्गों की उपस्थिति के साथ-साथ संयुक्त परिवार प्रणाली बच्चों के सामाजिक और नैतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । इससे परिवार की युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों को अपनाने और अपने बुजुर्गों के साथ रहने पर नकारात्मक मानसिक प्रवृत्तियों पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी ।

बच्चे अपने माता-पिता और परिवार के अन्य बुजुर्गों के साथ पहचान बनाते हैं, उन्हें अनुकरण करने के लिए व्यक्तिगत रोल मॉडल के रूप में अपनाते हैं क्योंकि वे अपनी किशोरावस्था का अधिकांश समय अपने माता-पिता के साथ बिताते हैं, व्यवहार संबंधी समस्याओं को केवल बच्चे के जीवन में परिवार की भागीदारी से ही ठीक किया जा सकता है । परिवार पहली सामाजिक संस्था है जिससे निकटता के कारण बच्चा अपना व्यवहार सीख सकता है । एक बच्चे की भावनात्मक और शारीरिक नींव उसके परिवार द्वारा परिभाषित सामाजिक मानकों और रीति-रिवाजों से परिभाषित होती है ।

एक परिवार अपने बच्चों में जो मूल्य पैदा करता है, वे इस बात की नींव बनाते हैं कि वे दुनिया में कैसे सीखते हैं, बढ़ते हैं और कार्य करते हैं । ये मान्यताएँ इस बात पर प्रभाव डालती हैं कि एक बच्चा कैसे बड़ा होता है और समाज में एक व्यक्ति के रूप में विकसित होता है । ये मूल्य और नैतिकता हर समय किसी व्यक्ति के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं । अपने परिवार के सदस्यों द्वारा सिखाए और दिए गए मूल्यों के कारण बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं । पारिवारिक मूल्य पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले विचार हैं । परिवार के रीति-रिवाज और परंपराएँ एक अनुशासित और संगठित जीवन शैली की ओर ले जाती हैं ।

हर युग और समाज में शिक्षा को सबसे शक्तिशाली हथियार माना गया है । परिणामस्वरूप, शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका का आकलन करते समय बहुत से कारकों पर विचार किया जाना चाहिए । मूल्यों के संचरण से शिक्षार्थी की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए । बच्चे स्कूल में एक छोटे समाज के सदस्य होते हैं जिसका उनके नैतिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । शिक्षक कक्षा में छात्रों के लिए रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं और उनमें नैतिक व्यवहार पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

धोखा देना, झूठ बोलना, चोरी करना आदि इन सभी को स्कूल में साथियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है । नियमों और विनियमों के अस्तित्व के बावजूद, शैक्षणिक संस्थान अनौपचारिक तरीके से बच्चों में मूल्य शिक्षा प्रदान करते हैं । वे बच्चों में नैतिक व्यवहार के विकास में महत्वपूर्ण हैं । शिक्षक बच्चों की मूल्य प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । परिवार में मूल्य बढाने के लिए सकारात्मक कार्यों को बढ़ाते हुए नकारात्मक कार्यों को दबाना है ।

एक व्यक्ति को अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अच्छे नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए । अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति भीड़ के बीच भी पहचाना जाता है और दूसरों के प्रति उसके व्यवहार और रवैये के लिए उसकी हमेशा सराहना की जाती है । इसके विपरीत, जिन लोगों में अच्छे मूल्यों की कमी होती है वे अक्सर मुसीबत में पड़ जाते हैं और समाज में स्वीकार नहीं किए जाते हैं । इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कम उम्र से ही अच्छे मूल्य और नैतिक व्यवहार सिखाएँ ।

यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को नैतिक मूल्यों और नैतिकता की सीख दें । इससे उन्हें दुनिया के अच्छे इंसान और समझदार नागरिक बनने में मदद मिलेगी । इसके अतिरिक्त, यह उन्हें अपने जीवन में महान चीजें हासिल करने की ताकत और साहस देगा । नैतिक मूल्यों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता । जिस राष्ट्र में अच्छे मूल्यों की संख्या अधिक होगी वह निस्संदेह उन देशों की तुलना में अधिक तेजी से प्रगति और विकास करेगा जहां लोगों में मूल्यों की कमी है । नैतिक मूल्य हमें व्यक्तिगत रूप से पोषित करते हैं, मजबूत चरित्र का निर्माण करते हैं और हमारे चारों ओर एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करते है ।

घर में सभी सदस्य स्वच्छता का पालन करना, अच्छे घरेलू वातावरण का पैदा करना, और अच्छे स्वास्थ्य के माध्यम से सामाजिक जीवन और समानता में सुधार करना । परिवार के मूल्य बच्चे को दूसरों द्वारा उसे समझाने के प्रयासों के बावजूद अपने विश्वासों पर दृढ़ रहने में सक्षम बनाते हैं । जिस बच्चे में सही और गलत की गहरी समझ होती है, उसके विचलित प्रभावों का शिकार होने की संभावना कम होती है ।

अंत में नैतिक मूल्य के मूलभूत सिद्धांत ही हमारे कार्यों और व्यवहार को निर्देशित करते हैं, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । वे एक दिशा सूचक यंत्र के रूप में काम करते हैं, जो हमें सही और गलत में अंतर करने में सक्षम बनाते हैं, और इस प्रकार, हमारे व्यक्तित्व और चरित्र को आकार देते है ।

मीरा रॉय
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है ।
- राहुल सांकृत्यायन

अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस

कॉर्डाइट निर्माणी में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया । 30 सितंबर को राजभाषा कर्मियों द्वारा सी.एफ.ए के स्थानीय लैन के माध्यम से अनुवाद के विषय़ पर एक व्याखान दिया जो अनूठे कार्यक्रम के रुप में सभी दर्शकों ने सराहा । अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का क्या महत्व है और मनाने का उद्देश्य क्या है -- इतिहास क्या है ?

अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मूल रूप से 1953 में शुरु किया गया था । इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स द्वारा स्थापित, वार्षिक उत्सव उन अनुवादकों के काम को श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है जो भाषा की बाधाओं को तोड़कर और महान साहित्य का अधिक व्यापक रूप से आनंद लेने की अनुमति देकर दुनिया को थोड़ा छोटा स्थान बनाने का प्रयास करते हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस भाषा पेशेवरों के काम को श्रद्धांजलि देने का एक अवसर है, जो राष्ट्रों को एक साथ लाने, संवाद, समझ और सहयोग को सुविधाजनक बनाने, विकास में योगदान देने और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । लोगों के बीच सामंजस्यपूर्ण संचार में एक आवश्यक कारक, बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संगठन के मूल मूल्य के रूप में भी माना जाता है । सहिष्णुता को बढ़ावा देकर, बहुभाषावाद संगठन के काम में सभी की प्रभावी और बढ़ी हुई भागीदारी सुनिश्चित करता है, साथ ही अधिक प्रभावशीलता, बेहतर प्रदर्शन और बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करता है ।

किसी साहित्यिक या वैज्ञानिक कार्य का, जिसमें तकनीकी कार्य भी शामिल है, एक भाषा से दूसरी भाषा में स्थानांतरण, उचित अनुवाद, व्याख्या और शब्दावली सहित व्यावसायिक अनुवाद, अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक प्रवचन और पारस्परिक संचार में स्पष्टता, सकारात्मक माहौल और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए अपरिहार्य है इस प्रकार, 24 मई 2017 को, महासभा ने राष्ट्रों को जोड़ने और शांति, समझ और विकास को बढ़ावा देने में भाषा पेशेवरों की भूमिका पर संकल्प 71/288 को अपनाया और 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में घोषित किया ।

30 सितंबर को बाइबिल अनुवादक सेंट जेरोम का पर्व मनाया जाता है, जिन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है । सेंट जेरोम उत्तर-पूर्वी इटली के एक पुजारी थे, जो ज्यादातर बाइबिल के नए नियम की ग्रीक पांडुलिपियों से लैटिन में अनुवाद करने के अपने प्रयास के लिए जाने जाते हैं । उन्होंने हिब्रू गॉस्पेल के कुछ हिस्सों का ग्रीक में अनुवाद भी किया । वह इलियरियन वंश का था और उसकी मूल भाषा इलियरियन बोली थी । उन्होंने स्कूल में लैटिन भाषा सीखी और ग्रीक तथा हिब्रू भाषा में पारंगत थे, जिसे उन्होंने अपनी पढ़ाई और यात्राओं से सीखा । 30 सितंबर 420 को बेथलहम के पास जेरोम की मृत्यु हो गई । इसलिए, इस दिन अर्थात 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाने के लिए चुना गया ।

मीरा रॉय

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

राजभाषा हिन्दी, बिन्दु--बिन्दु विचार

राजभाषा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितने लोग, उतने विचार हैं । राजभाषा के लिए समर्पित हर कार्यक्रम में हर बार एक नया सुझाव पेश किया जाता है । इससे यही प्रतीत होता है कि राजभाषा कार्यान्वयन का सफल सूत्र नहीं बन पाया । यदि इस बात पर गौर किया जाए तो हमें ज्ञात होता है कि राजभाषा कार्यान्वयन के लिए किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं है । यदि सूत्र की खोज सूत्रधार से हो तो सूत्र स्वयं ज्ञात हो जाते हैं । शासकीय कार्यालय में सूत्रधार अधिकारी वर्ग होता है । अत: यदि उसी सूत्रधार के हाथ में सूत्र दिया जाए तो स्वयं एक सफल सूत्र निमित्त हो जाएगा । अर्थात् अधिकारी वर्ग की संलग्नता ही राजभाषा कार्यान्वयन की सफलता का एकमात्र और प्रथम सूत्र है ।

राजभाषा कार्यान्वयन की समस्याओं पर न केवल व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने सुझाव और समाधान नहीं दिए हैं, अपितु इस पर हिन्दी साहित्यकारों ने भी अनेक सुझाव दिए हैं । भाषा संबंधी विशेषकर राजभाषा संबंधी समस्याओं के समाधानार्थ साहित्यकारों द्वारा दिए गए सुझाव में सर्वश्रेष्ठ सुझाव भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की पंक्तियों को माना जा सकता है :-

"निज भाषा उन्नति अहै,
सब उन्नति को मूल,
बिन जिन भाषा ज्ञान के,
मिटै न हिच को सूल । "

इस दोहे के माध्यम से अपनी भाषा, अपने राष्ट्र की भाषा, एक भाषा की ओर कवि ने ध्यान आकर्षित किया था । परंतु आज की स्थिति कुछ विचित्र है । निज भाषा का अर्थ हर कोई अलग-अलग समझता है । प्रांत के लोग इसे प्रांत की भाषा और हर जाति, धर्म के लोग इसे अपनी भाषा मानने लगे हैं । यह निश्चित रूप से हमारी रुग्ण मानसिकता और दासता का परिणाम है । हम भारतीयों को यह सोचना होगा कि प्यास को पानी से ही बुझाया जा सकता है, न कि इत्तर के बोतल से । अत: भारतीय अस्मिता की रक्षा के लिए हर भारतवासी को प्रांतीय भाषा, आलंकारिक भाषा, बोली या फिर अंग्रेज़ी से ऊपर उठकर हिन्दी के बारे में सोचना होगा ।

किसी भी नियम और अधिनियम की मूल भावना उसकी इच्छाशक्ति होती है । इच्छाशक्ति का अर्थ है कि नियम में दिए गए कानूनी प्रावधान जिसके तहत इस के अनिवार्य अनुपालन का कार्य सुनिश्चित किया जाता है ।

राजभाषा की मूल भावना सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है । यदि यही इसकी मूलभावना है तो इसकी इच्छाशक्ति क्या होनी चाहिए । निश्चित रूप से ऐसी मूल भावना में, इच्छाशक्ति में दृढ़ता नहीं होती है । वही नियम सफल होता है जिसकी मूल भावना के अनुरूप इच्छाशक्ति में सघनता होती है । अत: यह भी सुझाव है कि इच्छाशक्ति को सुदृढ़ और पक्का बनाने के लिए क्यों न दण्ड के प्रावधान के द्वारा प्रयास प्रारंभ किए जाएं ।

सरकार ने शासकीय तंत्र में राजभाषा कार्मिकों की एक लंबी फौज खड़ी कर दी है । इस फौज में दक्षता, कार्यकुशलता, योग्यता तथा अनुभव की कमी नहीं है । यदि उन में कोई कमी है तो वह यह है कि वे इन राजभाषा कार्मिकों में साहस की वृद्धि कर नहीं पाता । यदि उनमें अधिक साहस होता तो वे अपने काम को और अधिक सफलतापूर्वक पूरा कर सकते । साहस की वृद्धि यूँ नहीं होती । साहसी वही होता है जिसका हृदय सुदृढ़ हो । अत: इन्हें सुदृढ़ करने के लिए सशक्त करना आवश्यक है । राजभाषा कार्मिकों के सशक्तिकरण कविता की इन पंक्तियाँ प्रासंगिक है :-

वे दक्ष कुशल कर्तव्यनिष्ठ हिन्दी प्रेमी
सिंधु की लहरों के पुजारी
टूट गए हैं
अंग्रेज़ी के तटविहीन
महासागर में ।
नियम अधिनियम की
टूटी पतवार ले
तूफानी लहरों में
खो गए हैं ।

बार-बार हिन्दी में काम करने के लिए अपील किया जाना और फिर भी काम नहीं होना, अंग्रेज़ी जैसी कठिन भाषा में शीघ्र ही दक्षता प्राप्त कर लेना और अत्यंत सरल तथा अपनी भाषा हिन्दी में काम नहीं कर सकना और हर सुविधा के बावजूद पहल तक नहीं करना, शासकीय कर्मचारियों की मानसिकता बन गई है । ऐसी मानसिकता के लोगों को किस प्रकार समझाया जाए, यह एक सहज मुद्दा नहीं है । इन्हें बस यही कहा जा सकता है कि हिन्दी में काम नहीं करना हठधर्मिता है, काम नहीं कर सकना मूर्खता और काम करने का साहस नहीं करना गुलामी है ।

वर्तमान में शासकीय कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण हेतु अनेक प्रयास होते रहे हैं जो कि आवश्यकता भी है । सुझाव है कि ऐसे कार्यक्रमों को हिन्दी दिवस/पखवाड़ा तक सीमित न रखकर वर्ष भर सुदृढ़ रूप से आयोजित किया जाए और इस के एक रूप आयोजन के लिए राजभाषा विभाग से दिशा- निर्देश जारी किए जाएँ क्योंकि जिस प्रकार जुगनू को चमकने के लिए उठना ज़रूरी होता है उसी प्रकार राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी ज़रूरी होता है । यह सुझाव सर्वाधिक रूप से दक्षिण भारतीय प्रांतों के लिए लाभकारी सिद्ध् होगा जहाँ की भाषायी संस्कृति हिन्दी से पृथक है ।

दक्षिण भारत की स्थिति आज से 50 वर्ष पूर्व जैसी नहीं रह गई है । हिन्दी के प्रति जागरूकता में आशातीत परिवर्तन हुआ है । दक्षिण के प्रांतों ने हिन्दी की ओर इसलिए देखा है क्योंकि वह रोज़गार प्रदान करनेवाली भाषा बन गई है । परंतु यदि हम दक्षिण भारत के पुराने हिन्दी भक्तों की बात सुनें तो उनके प्रयास हमें आज भी नई राह दिखाते हैं । उदाहरणार्थ दक्षिण

दक्षिण भारत प्रचार सभा और केरल हिन्दी प्रचार सभा के हिन्दी प्रेमी डॉ.एन.ई.विश्वनाथ अय्यर, डॉ.एच.परमेश्वरन, डॉ.चन्द्रशेखरन नायर, प्रो.अबुबेकर आदि अनेक महानुभावों के मुख से सुनी कहानियों के अनुसार हम समझ सकते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क के बल पर हिन्दी के आंदोलन को आगे बढ़ाया था । आज भी ऐसे निस्वार्थ प्रयासों की ज़रूरत है । आज भी हिन्दी संतों की ज़रूरत है । आज हिन्दी को वातानुकूलित कमरे की संस्कृति से बाहर निकालकर गलियों और सड़कों पर पर ले जाना है जिसे इन हिन्दी वीरों ने एक समय में साइकिल से यात्रा कर द्वार-द्वार पर पहुँचाया था । अर्थात् संपर्क हिन्दी के लिए, संपर्क चेतना के लिए और संपर्क कार्यान्वयन के लिए उतने ही गाढ़े भाव के साथ् चाहिए जिसे इन्होंने किया था जो कि आज नदारद प्रतीत होता है । निश्चय ही राजभाषा कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत संपर्क की उतनी ही आवश्यकता है जितनी एक स्वच्छ शरीर के लिए व्यायाम की ।

सफल राजभाषा कार्यान्वयन हेतु सुझाए जा रहे विचार अभिव्यक्तियों का हम अर्थशास्त्र की दृष्टि से विचार करें । माँग और पूर्ति का नियम यह कहता है कि जब- जब दाम कम होता है तब-तब माँग बढ़ती है और जब-जब माँग में वृद्धि होती है तब-तब माँग की पूर्ति हेतु उत्पादन में वृद्धि होती है । परंतु यदि हम राजभाषा की माँग और पूर्ति पर दृष्टि डालें तो यह ज्ञात होता है कि माँग बहुत सीमित है । लेकिन उत्पादन असीमित है । इसकी खपत कैसी होगी, कहाँ होगी यह सोचनेलायक है । क्यों माँग नहीं बढ़ रही है? उत्पादन में वृद्धि के बाद भी आवश्यकता का सृजन क्यों नहीं हो रहा है? इन सब बातों पर राजभाषा के नीति निर्धारकों को देर सबेर विचार करना ही होगा कि राजभाषा की उपयोगिता का बाज़ार कैसे बढ़ें? यदि माँग का दायरा चुनौतियों के समक्ष अपेक्षाकृत और भी छोटा हुआ तो क्या होगा?

राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक राजभाषा लक्ष्य कभी-कभी शासकीय कार्यालयों के लिए गले की हड्डी बन जाती है । जैसे न उगला जा सकता है या निगला । विशेषकर कुछ कार्यालय परिणाम पर विचार किए बिना कुछ ऐसे कर्म कर अर्जुन बनने का प्रयास करते हैं और राजभाषा विभाग के प्रकोप से बचने या अपने चमक बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्राचार लक्ष्य प्राप्ति के असंगत और मिथ्या आंकडे प्रस्तुत कर देते हैं । यह हिन्दी की ऐसी हार है जो कि हिन्दी के सेनापति द्वारा हिन्दी की ही हत्या होती है । ऐसे सेनापतियों को सोचना होगा कि सेनापति होकर वे अपनी सेना की हत्या न कर बैठें ।

राजभाषा प्रबंधन का कार्य सामान्यत: निम्न या मध्यवर्गीय प्रबंधन कार्य होता है । कार्यालयीन व्यवस्था में निम्न या मध्यवर्गीय प्रबंधन नीति निर्धारक न होकर नीति अनुपालक होता है । राजभाषा प्रबंधक या हिन्दी अधिकारी को राजभाषा विभाग के अनुसार वही कार्य करना चाहिए जो कार्यान्वयन से संबंधित हों । यह आदेश राजभाषा के व्यापक हित में इसलिए जारी किया गया था ताकि राजभाषा प्रबंधक वर्ग अन्य कार्यों में संलग्न न होकर सिर्फ राजभाषा के क्षेत्र में अधिकाधिक हो । तथापि इस आदेश का परिणाम यह हुआ कि राजभाषा प्रबंधक वर्ग अधिकार से वंचित हो गए । इसने उन के मन में ऐसी मानसिकता को जन्म दिया कि हम बिन अधिकार के

अधिकारी हैं । यह भावना आगे चलकर उन में हीन भावना और कुंठा का भाव पैदा कर बैठा । परिणामत: वे अपने पास कोई अधिकारी नहीं होने की बात कहकर हाथ धरे बैठ जाते हैं । यह वास्तव में एक गलत मानसिकता है । राजभाषा प्रबंधक, राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदस्य/सचिव होता है । इस नाते और यदि इस समिति का संवर्धन हो तो यह स्व सामर्थ्य पर भरोसा कर एवं उस पर क्रियान्वयन करके अपने अधिकारी से ऊपर उठकर कार्य कर सकता है और अपनी छवि बना सकता है ।

राजभाषा विद्वान एक बात पर सहमत होते हैं कि राजभाषा में कार्य करने के लिए लोगों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने की आवश्यकता है । अर्थात् उन के मन में हिन्दी के प्रति नेक नियति विकसित करनी है । नेक नियति, विकसित करना हृदय परिवर्तन कराना होता है । हृदय परिवर्तन साधु संतों से भी संभव नहीं हो पा रहा है तो राजभाषा कार्मिकों से इतनी बड़ी अपेक्षा क्यों ? इसका अर्थ यही नहीं कि उन्हें इस काम से मुक्ति दे देनी चाहिए । अपितु इसका अर्थ यह है कि उनके कार्य को कठिन चुनौतिपूर्ण मानकर उनके साथ समरूप आचरण होना चाहिए ताकि विश्वास की जागृति हो ।

हिन्दी कर्मी राजभाषा का कार्यान्वयन के कार्य को राष्ट्रीय अस्मिता का कार्य समझें और सरकारी नियमों एवं परिभाषाओं से आगे बढ़कर राजभाषा कार्यान्वयन हेतु व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएँ एवं सरकार भी यह सुनिश्चित करें कि हिन्दी कर्मियों के वेतन, सुविधाएँ एवं पदोन्नति के अवसर अन्य कर्मियों की तरह ही हों ।

यह सत्य है कि सूचना क्रांति को आत्मसात किए बगैर हम हिन्दी का समुचित विकास नहीं कर सकते । इस क्षेत्र में अभी तक जो भी सरकारी प्रयास हुए हैं, वे बहुत ही दयनीय है एवं आवश्यकता के अनुरूप नहीं है । जिस स्तर की सुविधाएँ अंग्रेज़ी में कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं, वैसी ही सुविधाओं का विकास हिन्दी में भी किया जाए एवं हिन्दी को सूचना प्रौद्योगिकी की भाषा के रूप में विकसित किया जाए ।

राजभाषा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का मज़ाक उड़ानेवालों के खिलाफ बड़े नियम बनाए जाएं । राष्ट्रीय ध्वज एवं अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों की अवमानना करने को जितनी गंभीरता से ली जाती है, उतनी ही गंभीरता से राष्ट्रभाषा के प्रावधानों एवं नियमों के उल्लंघन को भी लिया जाए ।

धारा 3(3) के तहत जारी किए जानेवाले दस्तावेज अनिवार्यत: हिन्दी एवं अंग्रेज़ी में जारी किए जाते हैं । इस के चलते हिन्दी अनुवाद की भाषा बनती जा रही है । इस प्रकार के दस्तावेजों को -क- क्षेत्र केवल हिन्दी में एवं -ख- क्षेत्र तथा -ग- क्षेत्र में हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा में ज़ारी करने पर विचार करें ।

राजभाषा संबंधी पदों को एक निश्चित अवधि में भरने की व्यवस्था बनाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि राजभाषा से जुडा कोई भी पद विशेष परिस्थितियों में छह माह से अधिक रिक्त न रहें ।

राजभाषा ही नहीं, बल्कि अन्य कई क्षेत्रों में मिल रही चुनौतियों का एक बहुत बड़ा कारण राष्ट्रीय स्वाभिमान का अभाव एवं - जैसा चल रहा है, चलने दो - वाली प्रवृत्ति है । शीर्ष स्तर पर होनेवाले सभी कार्यों को हिन्दी में बरके ही हम आमजन को यह संदेश दे सकते हैं कि हिन्दी में कार्य करना केवल भाषा का नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का विषय है, जिस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे ।

राष्ट्रीय स्वाभिमान के उक्त बात का यदि शत प्रतिशत रूप से और हृदय से अनुपालन किया जाता है तो राजभाषा हिन्दी राष्ट्रीय प्रगति का मार्ग सिद्ध होगी । हिन्दी को राष्ट्रीय प्रगति मा मार्ग बताना इस अवधारणा का संवर्धन है कि राजभाषा के बिना राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता । यह सिर्फ कथनी में न होकर करनी में भी परिलक्षित हों । करनी का संदेश हर भारतीय तक पहुँचे कि हिन्दी क बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती । ऐसी धारणा द्वारा राजभाषा को प्रगति प्राप्त हो ।

डॉ.एम.अनंतपद्मनाभ भट्ट
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

राष्ट्रभाषा का प्रचार-प्रसार मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ ।
--डॉ.राजेन्द्र प्रसाद

स्वाधीनता के बाद का भारत

भूमिका

आज हमारे देश को आजाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं । आज से 76 वर्ष पूर्व 15 अगस्त सन् 1947 को हमारा देश स्वाधीन हुआ । हमारे देश ने इन 76 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की । आज हमारा देश भारत विश्व की 5 वीं सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था के रूप में उभर कर आया है, जिस पर सभी भारतवासियों को गर्व है । आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी के पर्व को एक विशेष रूप से मनाने का संकल्प लिया और जिसे आजादी का अमृत महोत्सव कहा गया । सम्पूर्ण भारत में आजादी का 76 वाँ वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मानाया गया । कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ जैसे हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा आदि । यह आजादी का अमृत महोत्सव आगामी 25 वर्षों तक मनाया जाएगा । इस काल खण्ड को अमृतकाल के नाम से जाना जाएगा । इसी काल खण्ड में भारत को विकसित भारत बनाने का भारत सरकार द्वारा संकल्प किया गया । इस संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार व हम सभी 130 करोड़ देशवासियों की जिम्मेदारी है ।

स्वाधीनता के बाद भारत

स्वाधीनता के बाद हमारे देश का तस्वीर एकदम बदल गया है । स्वाधीनता के पूर्व हमारा देश गरीब देशें की श्रेणी में गिना जाता था । लेकिन आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है । आजादी के बाद भारत के प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है । स्वाधीनता के बाद भारत के कुछ क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की ओर आत्मनिर्भर बना जबकि आजादी से पूर्व हमें हर क्षेत्र में विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था । आजादी के बाद कुछ क्षेत्रों में हमने अभूतपूर्व प्रगति की ओर आत्मनिर्भरता प्राप्त की जो इस प्रकार है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में

आजादी के बाद भारत ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की । विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक साथ करने से आज भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकसित राष्ट्रों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है । इस पर भारत के 130 करोड़ देशवासियों को गर्व है ।

चिकित्सा के क्षेत्र में

स्वाधीनता से भारत की चिकित्सा क्षेत्र बहुत ही निम्नस्तर का था । स्वाधीनता के बाद भारत ने चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति की । हमें आजादी से पूर्व बड़े घातक एवं असाध्य रोगों के इलाज के लिए विदेशों में जाना पड़ता था । जिसका लाभ केवल कुछ प्रतिशत लोग ही ले पाते थे । आजादी के बाद हमारे देश ने अनेक घातक बीमारियों की दवाईयाँ, टीके, व उनका इलाज की व्यवस्था देश में ही की । इसके लिए सरकार के साथ चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों की अहम भूमिका है । अभी पिछले वर्षों में कोविड-19 के दौरान चिकित्सा से जुड़े वैज्ञानिकों और उनसे जुड़े संस्थानों के साथ मिलकर कोविड-19 के टीके का आविष्कार एवं निर्माण कर विश्व रिकार्ड बना डाला जिसे देश में ही नहीं अपितु विदेशों के लिए निर्यात ख्याति प्राप्त की इस प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा देश काफी आगे है ।

उद्योग के क्षेत्र में

स्वाधीनता के बाद भारत ने उद्योग जगत में काफी प्रगति की । आजादी से पूर्व हमारा देश उद्योग जगत में काफी पिछड़ा था । आज भारत में बड़े-बड़े उद्योग एवं कंपनीयाँ उद्योग 0.4 कार्य कर रही है उद्योग 0.4 का अर्थ है कि पूर्ण डिजिटलीकरण आई टी टेकनोलोजी, स्वचालित मशीनों एवं इलेक्ट्रानिक्स के माध्यम से उत्पादन सुनिश्चित करना । आज भारत में सभी उद्योग एवं कंपनीयाँ इस ओर ध्यान दे रही हैं और उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार कर देश के अतिरिक्त विदेशों में निर्यात करते हैं जिससे भारत की अर्थ व्यवस्था मजबूत हो रही है ।

कृषी के क्षेत्र में

स्वाधीनता से पूर्व हमारा देश भारत कृषि के क्षेत्र काफी पिछड़ा था । यहाँ तक कि हमारे देश को खाद्य पदार्थ को विदेश से खरीद कर आयात करना पड़ता था । लेकिन आज भारत कृषि के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन चुका है । आज देश से अनेक खाद्य पदार्थ निर्यात किया जा रहा । जिसके परिणाम देश की अर्थ व्यवस्था मज़बूत हो रही है । आज देश में छोटे हल से लेकर कम्बाइन मशीन तक का निर्माण किया जा रहा है । कृषि वैज्ञानिक कृषि की ई नई तकनीकी का अविष्कार करके कृषि की उपज को दिनों दिन बढ़ा रहे हैं ।

रक्षा के क्षेत्र में

स्वाधीनता के बाद रक्षा के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की । आज भारत अपने देश की रक्षा के लिए अस्त्र-शस्त्र एवं गोला बारूद, बखतरबन्द गाडियाँ, टैंक, युद्ध पोत, गन, के साथ-साथ मिसाइलों

मिसाइलों परमाणु बम, लड़ाकू विमान, एवं समुद्री जहाज एवं पनडुब्बी का निर्माण करने में सक्षम है । रक्षा से जुड़े वैज्ञानिक एवं संस्थान रक्षा के उपकरण एवं सामग्री का उत्पादन कर देश की रक्षा में अहम भूमिका निभा रहे है । इस प्रकार रक्षा के क्षेत्र में भारत विकसित देशों के साथ खड़ा है । जिस पर हमें गर्व है ।

शिक्षा के क्षेत्र में

स्वाधीनता के पूर्व हमारे देश की शिक्षा प्रणाली निम्न स्तर की थी । स्वाधीनता के बाद भारत में शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी काफी जोर दिया गया । स्वाधीनता के बाद सरकार द्वारा प्रत्येक गाँव स्तर पर प्राथमिक विद्यालय खोले गये । साथ ही कालेज एवं विश्व विद्यालयों के खोलने पर भी सरकार ने काफी जोर दिया ताकि उच्च शिक्षा के लिए परेशानी न हो । व्यावसायिक शिक्षा के लिए हर तहसील स्तर पर आई टी आई, एवं बडे-बडे टेक्नीकल इन्स्टीट्यूट एवं आई आई टी का निर्माण तेजी से किया गया । इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी हम काफी अग्रणी है ।

उपसंहार

आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आगामी २५ वर्षों में विकसित भारत का स्वप्न भी देख रहा है । लेकिन इसके लिए हमें कुछ चुनौतियों एवं सामाजिक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना हो । आज भी हमारे देश में जाति व धर्म के नाम पर भेद भाव है इसे मिटाना होगा । काफी प्रगति के बाद भी हमें कुछ क्षेत्रों में और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे - गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसी समस्याएँ बनी हुई है । आजादी के अमृत काल खण्ड में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूर्ण करने के लिए सरकार व समाज को उपरोक्त समस्याओं पर ध्यान देना होगा हमे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार व समाज इसमें अवश्य सफल होंगे और भारत आजादी के अमृत काल खण्ड में विकसित राष्ट्र बनेगा । इसे सफल बनाने में १३० करोड़ देशवासियों का सहयोग एवं देश भक्ति की भावना की आकांक्षा है ।

रामकृष्ण
इलक्ट्रीशन/ई एम अनुभाग

राजभाषा नियम 1976

राजभाषा (संघ के शसकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम (यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011

सा.का.नि.1052--राजभाषा अधिनियम, 1963(1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :-

क. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा(संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 1976 है ।

ख. इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है ।

ग. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2.परिभाषाएं -- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) अधिनियम से राजभाषा अधिनियम 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है

(ख) 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है अर्थात :-

1.केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय

2.केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और

केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय

(ग) 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है

(घ) 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है

(ड.) 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है

(च) 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड़, उत्तराखंड, राजस्थान ओर उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है

(छ) 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है

(ज) 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है

(झ) हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है ।

3.राज्यों आदि और केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि :-

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिंदी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा ।

2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से --

क. क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो को पत्रादि सामान्यतया हिंदी में होंगे और यदि इनमें से किसी को काई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे

ख. क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते है ।

3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे ।

4. उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' या 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय(जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं । परन्तु हिंदी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले वयक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ।

4.केन्द्रीय सरकार के कार्यायों के बीच पत्रादि :-

क. केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं ।

ख. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केंद्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें ।

ग. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिंदी में होंगे

घ. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं

परन्तु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें

ड. क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं परन्तु ये पत्रादि हिंदी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि --

i. क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा

ii. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथि भेजा जाएगा

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

5.हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर :-

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिंदी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे ।

6.हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग :-

अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती है, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं ।

7.आवेदन, अभ्यावेदन आदि :-

1. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेज़ी में कर सकता है ।

2. जब उप नियम(1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा ।

3. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी है) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसका कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेज़ी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलंब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी ।

8.केंन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना :-

1. कोई कर्मचारी किसी फायल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिन्दी या अंग्रेज़ी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें ।

2. केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेज़ी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं ।

3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा ।

4. उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहाँ ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

9.हिन्दी में प्रवीणता :-

यदि किसी कर्मचारी ने -

क. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या

ख. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो, या

ग. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है,

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

10.हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान :-

1. क. यदि किसी कर्मचारी ने -

1. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या

2. केंद्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रर्वग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

3. केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

ख. यदि इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है,

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

2. यदि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करनेवाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

3. केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारयिों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं ।

4. केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे ।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करनेवाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारयिों का प्रतिशत किसी तारीख में से उपनियम(2)में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय में नहीं रह जाएगा ।

11.मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि :-

1. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, सहिंताएँ और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेज़ी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा ।

2. केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेज़ी में होंगे ।

3. केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेज़ी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी ।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझाती है ता वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकती है ।

12.अनुपालन का उत्तरदायित्व :-

1. केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह :-

1. यह सुनिश्चित करें कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उप नियम(2) के अधीन जारी किए गए अनदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और

2. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करें ।

2. केंद्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेशक जारी कर सकती है ।

संकलित

राजभाषा अनुभाग

हिन्दी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है ।

- सूमित्रा नंदन पंत

देश भक्ति

टुकड़े न होने दूँगा, हरगिज हिन्दुस्तान के ।
टुकडे न होने दूँगा, हरगिज कश्मीर के ।
टुकड़े चाहे हो जाय, मेरे एक -एक वीर जवान के ।
पर टुकड़े न हाने दूँगा, हरगिज कश्मीर के ।
पर टुकड़े न होने दूँगा, हरगित हिन्दुस्तान के । (1)

जब से हमने खाई कसम है तब से हम खामोंश हैं ।
जिस दिन टूटा बाँध सब्र का, जिस दिन जागे सिंह देश के ।
उस दिन तुमको न बचा सकेगी, परमाणु बम और मिसाइले ।
टुकड़े चाहे हो जाय मेरे, एक -एक वीर जवान के ।
पर टुकड़े न होने दूँगा, हरगिज कश्मीर के ।
पर टुकड़े न होने दूँगा, हरगित हिन्दुस्तान के । (2)

जैसे टुकडे करे तमोली एक-एक पान के
वैसे टुकड़े कर दूँगा मैं दुश्मन बेईमान के
टुकड़े चाहे हो जाय मेरे, एक -एक वीर जवान के
पर टुकड़े न हाने दूँगा, हरगिज कश्मीर के ।
पर टुकड़े न होने दूँगा, हरगित हिन्दुस्तान के । (3)

जैसे टुकडे करे कसाई बकरे की संतान के ।
वैसे टुकडे कर दूँगा मैं, आतंक हाफिज और मसूद के ।
टुकड़े चाहे हो जाय मेरे, एक-एक वी जवान के ।
पर टुकड़े न होने दूँगा, हरगिज कश्मीर के ।
पर टुकड़े न होने दूँगा, हरगिज हिन्दुस्तान के । (4)

जैसे टुकडे करता दर्जी कपड़े के एक थान के ।
वैसे टुकड़े कर दूँगा मैं चीन और पाकिस्तान के ।
टुकड़े चाहे हो जाय मेरे, एक-एक वीर जवान के ।
पर टुकड़े न होने दूँगा, हरगिज कश्मीर के ।
पर टुकड़े न होने दूँगा, हरगिज हिन्दुस्तान के । (5)

रामकृष्ण
इलक्ट्रीशन/ई एम अनुभाग

गीतांजली

गीतांजलि Song offerings का प्रथम प्रकाशन इंडिया सोसायटी, लंदन से नवंबर, 1912 में हुआ। इसके पूर्व बांगला गीतांजलि का प्रकाशन सितम्बर 1910 में हुआ था। यह 1906 से 1910 के बीच लिखित 157 कविताओं एवं गीतों का संकलन था। इस गीतांजलि के प्रकाशन के समय तक रवीन्द्रनाथ ठाकुर कवि, नाटककार, कथाकार, निबन्धकार के रूप में बंगाल में तो प्रसिद्ध हो ही चुके थे, बंगाल के बाहर भी महत्वपूर्ण साहित्यकार के रूप में परिचित हो चुके थे।

1901 में शान्तिनिकेतन में विद्यालय की स्थापना हो चुकी थी। 1901 से ही ' सरस्वती ' में इनकी कुछ कहानियों के अनुवाद प्रकाशित होने लेगे थे। बांग्ला गीतांजलि को मुख्य आधार बनाते हुए रवीन्द्रनाथ ने अंग्रेजी गीतांजलि -Song offerings- प्रस्तुत किया जिस में 103 कविताओं के अनुवाद हैं। इस में बँगला गीतांजलि से 53, नैवेद्य से 16, गीतिमाल्य से 16, खेया से 11, शिशु से 3, चैताली, कल्पना, उत्सर्ग, स्मरण से एक-एक कविताएँ/गीत और अचलायतन नाटक से एक गीत का अनुवाद है। बांग्ला गीतांजलि के प्रकाशन पर बंगाल में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई थी। कुछ को इसके भाव-गंभीर्य और सहज शैली ने प्रभावित किया तो कुछ ने इसे कृत्रिम माना। गीतांजलि और रवीन्द्रनाथ की ख्याती तो नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति के बाद ही हुई।

अंग्रेजी गीतांजलि की प्रस्तुति आकस्मिक थी या योजनाबद्ध, इस सम्बनध में तो निश्चयपूर्वकध् कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु यह ज़रूर कहा जा सकता है कि रवीन्द्रनाथ के कुछ अनुरागी, प्रशंसक एवं मित्र यह चाहते थे कि उनका साहित्य बंगाल की सीमा से बाहर निकले और विशेषत: अंग्रेजी के माध्यम से इसकी सीमा का विस्तार हो। रवि दत्त, अजितकुमार चक्रवर्ती, आनन्द कुमारस्वामी ने 1909-11 के बीच इनकी कुछ कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया था। अजितकुमार चक्रवर्ती और आनन्द कुमारस्वामी द्वारा अनूदित कविताएँ 1911 में ' माडर्न रिव्यू ' में प्रकाशित हुई थीं। इसके पूर्व जगदीशचन्द्र बसु तथा कुछ और लोगों ने इनकी कहानियों का अंग्रेजी अनुवाद किया था। 1910-11 में इंग्लैंड के सुप्रसिद्ध चित्रकार और साहित्य के रुचि रखने वाले विलियम रोथेंस्टाइन भारत आये थे। कलकत्ते जाने पर वे रवीन्द्रनाथ के पारिवारिक गृह जोड़ासाँको में ही ठहरे थे। रवीन्द्रनाथ के भतीजे चित्रकार गगनेन्द्रनाथ और अवनीन्द्रनाथ से उनकी घनिष्ठता थी। इस समय वे रवीन्द्रनाथ के व्यक्तित्व से विशेष रूप से प्रभावित हुए तथा उन्होंने उनके कुछ रेखाचित्र बनाये थे। इंग्लैंड लौटने पर रवीन्द्रनाथ से उनका सम्पर्क बना रहा। 1912 में रवीन्द्रनाथ ने इंग्लैंड की अपनी तीसरी यात्रा की योजना बनायी। किन्तु मुम्बई में जहाज़ पर चढ़ने के बाद उनकी तबीयत ख़राब लगने लगी और उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। रवीन्द्रनाथ विश्राम तथा स्वाथ्यलाभ के लिए अपनी ज़मींदारी शिलाइदह (पूर्व बंगाल) चले आये। यहीं रवीन्द्रनाथ ने

गीतांजलि के अनुवाद की शुरूआत की । इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी भतीजी इन्दिरा देवी को जो पत्र लिखा है उससे गीतांजलि की अनुवाद प्रक्रिया का पता चलता है । यह पत्र 6 मई 1913 को लंदन से लिखा गया था । रवीन्द्रनाथ लिखते हैं - " तुमने गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद के सम्बन्ध में लिखा है । वह मैंने कैसे किया और लोगों को वह कैसे इतना अच्छा लगा, यह बात मैं आज तक समझ नहीं पाया । मैं अंग्रेजी नहीं जानता--यह बात इतनी स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में लज्जित होने का अभिमान भी मुझे किसी दिन नहीं था । यदि मुझे कोई चाय पर निमंत्रित कर अंग्रेजी में पत्र लिखता तो मुझे उसका उत्तर देने का भरोसा नहीं होता था । तुम समझती हो कि आज मेरी वह माया दूर हो गयी है - एकदम ऐसी नहीं है - मैंने अंग्रेजी में लिखा है, यही मुझे माया जैसा प्रतीत हो रहा है । पिछली बार जब जहाज़ पर चढ़ते समय चक्कर खा कर गिर पड़ा, सबसे विदा लेने की जल्दबाज़ी में मेरी यात्रा ही रुक गयी, तब विश्राम करने के लिए शिलाइदह चला गया । किन्तु मस्तिष्क पूरी तरह सरल न हो तो एकम से विश्राम करने जैसी ताक़त भी नहीं मिलती, इसलिए निरुपाय हो कर मन को शान्त रखने के लिए मैंने एक अनावश्यक कार्य में हाथ लगाया । तब उस चैत के महीने में आम के बौर की गन्ध से आकाश का कोई कोना ख़ाली नहीं था और पक्षियों की चहचहाहट ने दिन के सम्पूर्ण प्रहर को मतवाला बना दिया था । छोटा बच्चा जब ताज़गी से भरा होता है तब माँ की गोद को भूला रहता है, लेकिन जब थक जाता है तब वह माँ की गोद को पाना चाहता है - मेरी भी ऐसी ही दशा हई । मैं अपने पूरे मन से, अपने पूरे अवकाश के साथ चैत्र माह पर छा गया - उसका आलोक, उसकी हवा, उसकी गन्ध, उसके गीत कुछ भी मुझसे छूट नहीं पाये । किन्तु ऐसी अवस्था में चुप नहीं रह सका - हड्डी में जब हवा लगती है तब वह बज उठना चाहती है, यह तो मेरी हमेशा की आदत है, तू जानती है । तथापि पूरी तैयारी के साथ कुछ लिखने का बल मुझमें नहीं था । इसलिए गीतांजलि की कविताओं को एक-एक कर अंग्रेजी में अनुवाद करने बैठा । यदि कहो कि थके शरीर से ऐसे दु:साहस की बात मन में कैसे आयी ! - लेकिन मैं बहादुरी दिखाने की दुराशा में इस काम में न लगा था । एक दिन भावों की जिस हवा के सपर्श से मेरे मन में रस का उत्सव जाग्रत हो गया था, उसी को और एक बार अन्य एक भाषा के माध्यम से मन मे उद्भावित कर लेने की प्रबल इच्छा हुई । एक छोटी पुस्तिका भर गयी । इसे ही पॉकेट में रख कर जहाज़ पर चढ़ा । पॉकेट में रखने का अर्थ यह है कि सोचा समुद्र में मन जब व्यग्र हो उठेगा तब डेक की चेयर पर उठंग कर और दो-एक अनुवाद कर लूँगा । वहीं हुआ भी । एक पुस्तिका भर गई तो दूसरी में हाथ लगाया । रोथेंस्टाइन को पहले ही मेरे कवियश का आभास एक भारतीय के द्वारा हो चुका था । उन्होंने जब बातों ही बातों में मुझसे मेरी कविता का नमूना पाने की इच्छा प्रकट की तो मैंने कुंठित मन से अपनी पुस्तिका उन्हें समर्पित की ।

उन्होंने जो अभिमत प्रकट किया उस पर मैं विश्वास न कर सका । उन्होंने कवि येट्स के पास वह पुस्तिका भेज दी-उसके बाद क्या हुआ, उस इतिहास से तुम लोग परिचित हो । मेरी कैफियत से इतना ही समझ सकती हो कि इसमें मेरा कोई अपराध नहीं था - अधिकाशंत: घटना चक्र से ही ऐसा हुआ ।"

अंग्रेजी गीतांजलि को विशुद्ध अनुवाद की कोटि में रखा जा सकता है या नहीं, यह एक विचारणीय विषय है । वस्तुत: रवीन्द्रनाथ ने बांग्ला गीतांजलि के रचनाकाल की मानसिकता में पुन: निमज्जित हो कर यह अनुवाद किया था; इसलिए इसमें एक ओर वही तन्मयता दिखायी पड़ती है, तो दूसरी ओर भिन्न भाषा में नये रूप में ढालने के प्रयास में ये कविताएँ अनुवाद से भी आगे बढ़कर पुनर्सृजन की कोटि में पहुँच गयी हैं । दूसरा अन्तर यह है कि बांग्ला गीतांजलि गीत, छन्द, लय, संगीत में आबद्ध है तो अंग्रेजी गीतांजलि लयात्मक गद्य या गद्यकाव्य में है । नयी शैली में प्रस्तुत करने के प्रयास में बांग्ला कविताओं के कुछ अंश छूट गये हैं, किन्तु मूल भाव में कोई परिवर्त नहीं आया है । परवर्ती काल में गीतांजलि के कुछ और अंग्रेजी अनुवाद हुए । ब्रदर जेम्स(1983) तथा जो विंटर (1998) ने मूल बांग्ला गीतांजलि (157 कविताएँ) के अंग्रेज़ी अनुवाद प्रस्तुत किए तो विलियम रादिचे (पेंग्विन, 2011) ने अंग्रेज़ी गीतांजलि की मूल बांग्ला कविताओं के आधार पर नया अंग्रेज़ी अनुवाद प्रस्तुत किया । इन तीनों अनुवादकों ने यह प्रयास किया है कि मूल बँगला कविताएँ अनुवाद में अपनी सम्पूर्णता में प्रस्तुत हों । विलियम रादिचे ने भूमिका में मूल पांडुलिपि तथा येट्स अपने इस के परिमार्जन के सम्बन्ध में कई प्रश्न उठाये हैं । येट्स अपने इस परिमार्जन/संशोधन के संबंध में अत्यधिक संवेदनशील थे । किन्तु रादिचे इस संशाधन को सर्वदा औचित्यपूर्ण नहीं मानते । रवीन्द्रनाथ के इस अनुवाद की गुणवत्ता पर भी विचार हुआ है । कुछ विशेषज्ञों के मतानुसार गीतांजलि के अनुवाद रवीन्द्रनाथ की ख्याति के कारण बने तो परवर्ती मोहभंग या अख्याति में इनकी विशेष भूमिका है । वस्तुत: यह बात गीतांजलि से अधिक रवीन्द्रनाथ के परवर्ती अन्य अनुवादों के लिए ज़्यादा सही है । ' द गार्डनर '(1913) और ' द क्रसेंट मून '(1913) तक तो ठीक था, किन्तु इसके बाद के अनुवाद (फ्रूट गेदरिंग, लवर्स गिफ्ट, द फ्यूजिटिव आदि) कई प्रकार के आग्रह और दबाव के बीच जल्दबाज़ी में किये गये और मोहभंग का कारण बने । यहाँ तक कि येट्स और एज़ारा पाउंड जैसे प्रशंसक भी अप्रसन्न हुए लेकिन रोथेंस्टाइन और एंड्रयूज़ अन्त तक रवीन्द्रनाथ के समर्थक बने रहे । यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि पश्चिम में रवीन्द्रनाथ की ख्याति-अख्याति के कारणों को केवल अनुवाद की गुणवत्ता में तलाशना यथार्थ से दूर होना होगा । जिस प्रकार रवीन्द्रनाथ की ख्याति में अनुवाद और सहित्यिक कारणों से इतर कुछ अन्य कारक भी रहे हैं उसी प्रकार उनकी अख्याति में भी इतर कारक रहे हैं । इतना होने पर भी गीतांजलि (बांग्ला-अंग्रेजी दोनों) को भावानुभूति और संप्रेषणीयता दोनों दृष्टियों से विश्वसाहित्य जगत् में एक विशिष्ट कृति के रूप में स्वीकार किया जाता है ।

शिक्षा का महत्व

मनुष्य के विकास तथा उनके सर्वांगीन उन्नति में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है । शिक्षा के बिना मनुष्य पशु समान है । स्वस्थ तथा स्वच्छ समाज का निर्माण शिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही संभव है । जिस प्रकार एक-एक बूंद से एक घड़ा परिपूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार एक-एक शिक्षित व्यक्ति से समाज, देश तथा संपूर्ण विश्व परिपूर्ण होता है । यह अत्यंत आवश्यक है कि पुरुष तथा महिला समान रूप से शिक्षा प्राप्त करें, क्योंकि यदि स्त्रियाँ अशिक्षित रह गई तो आधा समाज पिछड़ा ही रह जाएगा । आज-कल संसार के अनेक भागों में स्त्रियों की शिक्षा के अच्छे परिणाम दिखाई दे रहे हैं । इस के फलस्वरूप आज प्रत्येक स्त्री आत्म निर्भर होकर देश-विदेश के महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएँ प्रदान कर रही हैं । अनेक बुरी रीति-रीवाज़ों और अंध विश्वासों जिससे स्त्रियाँ अधिक प्रभावित होती है, आज समाज से दूर होने लगे हैं । आज राष्ट्रीय विकास के हर क्षेत्र में स्त्रियाँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और बराबर की ज़िम्मेदारी निभा रही है । शिक्षा मनुष्यों में मनुष्यता का बोध कराने में सक्षम है । शिक्षा के प्रचार-प्रसार में हर व्यक्ति की तन-मन-धन से भागीदारी आज अति आवश्यक है । यह प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है । कहा जाता है शिक्षा दान महादान अर्थात् इससे बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं है । प्राचीन काल में राजा-महाराजा अपने पुत्रों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु गुरुकुल में भेजते थे, जहाँ उन्हें महलों की सारी सुविधाओं से वंचित रखकर शिक्षा के कठोर मापदंडों से अवगत कराया जाता था । परंतु आज शिक्षा एक व्यवसाय बनकर रह गया है । जिनके पास अर्थबल है, केवल वही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । हम सभी को एकत्रित होकर इसका विरोध करते हुए कम कीमत पर सब को उच्च शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रतिष्ठानों के विकास हेतु प्रयास करना चाहिए ।

सुकुमार घोषाल
एन जी 205/110482

राष्ट्रभाषा का प्रचार-प्रसार मैं राष्ट्रीयता का अंग मानता हूँ ।
-डॉ.राजेन्द्र प्रसाद

पुष्प की अभिलाषा

मत तोड़ो मुझे,
खिलने दो ।
कली से फूल बनकर,
लहराने दो ।
जिसने मुझे जन्म दिया,
उसके शिश की शोभा बनने दो ।
मत तोड़ो मुझे,
खिलने दो ।
अपने रंग से प्रकृति को रंगने दो,
अपनी सुगन्ध से सारे जहाँ को,
महकाने दो,
यदि मैं मुरझाऊँ तो,
सुख कर मुझे,
अपनी माँ के चरणों में,
गिरने दो ।
कृतज्ञता बोध में मुझे,
उनपर न्योच्छावर होने दो ।
मत तोड़ो मुझे,
खिलने दो ।

सुकुमार घोषाल
एन जी 205/110482

हिन्दी के माध्यम से सारे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है ।
-- स्वामी दयानंद सरस्वती

भारत के प्रथम

1. पहला अख़बार	-	कलकत्ता गजट(1781)
2. पहला पोस्ट स्टैंप	-	1825 में सिंध द्वारा
3. पहला टेलीग्राफ (सरकारी)	-	कलकत्ता और डाईमंड हारबर के बीच 1825 में
4. पहला विकसित स्टील प्लांट	-	कुल्टी में 1887 में
5. पहली विद्युत रेल गाडी	-	1925 में मुंबई और कुरला के मध्य
6. पहला उपग्रह	-	आर्यभट्ट
7. पहला आम चुनाव	-	15 दिसंबर 1951
8. इंग्लैंड जानेवाला पहला व्यक्ति	-	राजा राम मोहन राय
9. पहला गर्वनर	-	लार्ड एस.पी.सिन्हा
10.पहला कांग्रसी प्रधान	-	डब्ल्यू.सी.बैनर्जी
11.पहला भारतीय नोबेल पुरसकार विजेता	-	रवीन्द्रनाथ टैगोर
12.पहला मुख्य कमांडर	-	जनरल के.करियप्पा
13.पहला वायु सेना प्रमुख	-	एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी
14.ब्रिटीश संसद में पहला भारतीय सदस्य	-	दादा भाई नैरोजी
15.पहला गवर्नर जनरल	-	सी.राजगोपालाचारी
16.पहला राष्ट्रपति	-	डॉ.राजेन्द्र प्रसाद
17.पहली महिला गवर्नर	-	सरोजनी नायडु
18.पहली महिला डॉक्टर	-	कादंबनी गांगुली
19.पहली महिला जज(हाईकोर्ट)	-	अन्ना चांडी (केरल)
20.पहली यू.एन. महिला राष्ट्रपति	-	विजय लक्ष्मी पंडित
21.पहली महिला मुख्यमंत्री	-	सुचिता कृपलानी
22.पहली महिला स्पीकर	-	सुशीला नायर
23.पहली महिला मेयर	-	सुलोचना मोदी

संकलित

राजभाषा अनुभाग

तथ्य

1. भारत में 52.11 प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं ।
2. भारत में प्रति मिनट 50 बच्चे पैदा होते हैं ।
3. भारत में 32.4 करोड़ व्यक्ति अशिक्षित हैं ।
4. भारत में 21.7 करोड लोग शहरों में रहते हैं ।
5. भारत में प्रतिदिन 72000 बच्चे पैदा होते हैं ।
6. भारत में एक हज़ार पुरुषों पर 933 महिलाएँ हैं ।
7. भारत में 10 बच्चों में से 4 बच्चे अल्प पोषित हैं ।
8. विश्व की 17 प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है ।
9. सन् 2000 में भारत की जनसंख्या एक अरब हो गई ।
10. प्रति वर्ष भारत में 1.7 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाती है ।
11. 01 मार्च 1901 में भारत की जनसंख्या 23.8 करोड थी ।
12. 01 मार्च 1991 में भारत की जनसंख्या 84,39,30,867 थी ।
13. भारत की 40 प्रतिशत जनसंख्या 14 वर्ष से कम आयु की है ।
14. भारत की 15 प्रमुख राज्यों में 96 प्रतिशत जनसंख्या रहती है ।
15. भारत के पास विश्व भूभाग का 2.4 प्रतिशत ही है ।
16. भारत में सन् 1966 में परिवार कल्याण विभाग बनाया गया ।
17. भारत के दो महानगर मुंबई और कोलकाता विश्व के सर्वाधिक जनसंख्यावाले महानगरों में से हैं ।
18. भारत में केरल राज्य एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ शत प्रतिशत लोग शिक्षित हैं और महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है ।
19. हरियाणा में पुरुषों की संख्या महिलाओं से दुगुनी है ।
20. विश्व में शून्य का आविष्कार भारत द्वारा किया गया था ।

संकलित

राजभाषा अनुभाग

फलों और सब्जियों से चिकित्सा

खजूर

फलों में खजूर का अपना अलग महत्व है । खाद्य पदार्थ के रूप में इसका काफी महत्व है । इसे ' सहारा की रोटी ' कहा जाता है । परंतु खाद्य के रूप में इसका उपयोग सर्वव्यापी है । यह पहला फल है जिसकी खेती मनुष्य द्वारा की गई है । मेसेपोटामिया में करीब पाचँ हज़ार वर्ष पूर्व ऐसी ईंटें पाई गई हैं कि जिन पर खजूर के बारे में निर्देश खुदे हुए हैं । मिस्र के प्राचीन स्मारकों में खजूरों के चित्र खुदे हुए हैं । प्राचीन यूनानियों के बीच खजूर धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता था । फिलिस्तानियों पर आक्रमण करते समय रोमनों को यह वहाँ मिला था । विश्व कृषि में इसका मानक स्थान है ।

पोषक के रूप में इसका काफी महत्व है । अपने भार का करीब 60 प्रतिशत ग्लूकोज तथा फ्रैक्ओज के रूप में इस में प्राकृतिक शर्करा है । इसकी शर्करा आसानी से पच जाती है । इस प्रकार गन्ने में प्राप्त होनेवाली शर्करा से यह श्रेष्ठ है ।

खजूर का प्रयोग रोगाणुओं पर नियंत्रण रखता है तथा आँतों में स्वस्थ बैक्टीरिया उत्पन्न करता है । यह शरीर में ऊर्जा की आपूर्ति तुरंत करता है और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करता है । खजूर एक सुपाच्य खाद्य पदार्थ है । यह कब्ज में बहुत लाभकारी है, क्योंकि इस के रेशे आँतों की सफाई में सहायता करते हैं । इसके क्षारीय तत्त्व अम्लता को कम करते हैं ।

अनेक बीमारियों में खजूर का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है । खजूर को घिसकर, पानी में मिलाकर पीने से शराब की उत्तेजना दूर हो जाती है । स्वच्छ एवं ताजा खजूर दूध में मिलाकर पीने से यह बच्चों तथा वयस्कों को समान रूप से पुष्ट करता है ।

जामुन

जामुन एक सामान्य फल है, जो संपूर्ण भारत में बहुतायत में पैदा होता है । बड़े जामुन छोटे जामुन की अपेक्षा मीठे होते हैं । पका फल बाहर से काला और अंदा से बैंगनी होता है ।

जामुन का अग्न्याशय पर अच्छा प्रभाव होने के कारण मधुमेह के लिए यह पारंपरिक औषधि के रूप में उपयोगी है । इस रोग के उपचार में जामुन फल का बीज और रस दोनों ही उपयोगी हैं । बवासीर के लिए जामुन एक प्रभावकारी घरेलू दवा है । इस के मौसम में दो तीन महीने तक नित्य सुबह अच्छे पके जामुन नमक के साथ खाना चाहिए । इस तरह निरंतर उपयोग करने से यह रोग जड़ से निकल जाता है ।

जामुन के नैसर्गिक अम्ल पाचक रसों के रिसाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और यकृत के कार्यों में संकुचन पैदा करते हैं । लेकिन जामुन का सेवन बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कफकारक होता है ।

मुनक्का

पुरातन काल से ही मुनक्का का खाने में उपयोग किया जाता है । यूनानी और रोमन काल में भी भूमध्यसागरीय व्यापारियों को इसका पता था । मुनक्का विश्व के कई भागों में पैदा किया जाता है । परंतु विश्व के उत्पादन की दृष्टि से इटली, स्पेन, फ्रांस, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण आफ्रीका अग्रणी हैं ।

मुनक्का का उच्च खाद्य मूल्य मुख्यत: उस में विद्यमान शर्करा की मात्रा से है । इस में अंगूर की तुलना में आठ गुना अधिक शर्करा रहती है । इस में विद्यमान शर्करा अंगूर की तरह उत्तम प्रकार की होती है । मुनक्का कब्ज के उपचार में बहुत लाभकारी है । इसे एक गिलास स्वच्छ पानी में चौबीस घंटे भिगोकर रखना चाहिए । इससे ये अंगूर के आकार के हो जाएँगे । इन से बीज निकालकर सुबह-सुबह खाना चाहिए । जिस पानी में मुनक्का भिगोया गया था, उस पानी को भी पीना चाहिए । कुठ दिन नित्य इस प्रकार लेने से पुराना कब्ज भी दूर हो जाता है । आसानी से घुलनेवाले लौह का प्रचुर स्रोत होने के कारण यह खून बढ़ाता है ।

मुनक्का कई तरीकों से लिया जाता है । दूध के साथ लेने पर यह बहुत उपयोगी है । ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दूध में पर्याप्त प्रोटीन रहता है औकर मुनक्का में शर्करा । मुनक्का सलाद में भी बहुतायत से प्रयोग किया जाता है । इसका प्रयोग मिठाइयों में भी किया जाता है ।

कटहल

कटहल भारत की प्रचलित सब्जी है । कटहल के अच्छे पके फल में से बहुत लुभावनी खुशबू निकलती है । इसका गूदा मीठा और सुवासित होता है । यह स्वाद में बहुत रुचिकर होता है । कटहल आकार में बड़ा होता है । कटहल भारत का देशज फल है । भारत में यह फल असम, बंगाल, बिहार और पूरे दक्षिण भारत में उगाया जाता है । केरल में तो यह प्रत्येक घर के आस-पास देखने में आता है ।

कटहल के रसीले गूदे को कभी-कभी फलों के सलाद के साथ खाया जाता है । बीजों को उबालकर और भूनकर खाते हैं । भारत में कई खाद्य पदार्थों में घटक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है । कटहल के पेड़ के सभी अंग उपयोगी हैं । इस की छाल और पत्तियाँ पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल में लाई जाती है । इसकी लकड़ी मज़बूत, टिकाऊ, दीमक को रोकनेवाली एवं कीमती होती है ।

कटहल के तने के दुधिया रस को सिरके के साथ मिलाकर लगाने से ग्रंथीय सूजन और फोड़ों में लाभ पहुँचता है । कटहल की पत्तियाँ और जड़ साँप के काटे के उपचार में विषहर का कार्य करते हैं । इस की कोमल पत्तियाँ व जड़ अतिसार और पेचिश के उपचार में उपयोगी हैं ।

कद्दू

कद्दू बेल पर लगनेवाला फल है । यह एक सामान्य सब्जी है । यह आकार में बड़ा होता है । यह एक स्वास्थ्यकर सब्जी है । इसकी खेती के लिए बहुत अधिक तापमान की आवश्यकता होती है । अत: इस फसल को ऐसे मौसम में बोया जाता है कि यह गरमी में परिपक्व हो । कद्दू के बीज में विटामिन बी कॉम्पलेक्स और खनिजों का अच्छा संतुलन रहता है ।

कद्दू हलका जुलाब देनेवाला होता है । यह आसानी से पचनेवाला, गैस न बनानेवाले और तंत्रिका तंत्र के लिए उपयोगी है । इसकी सब्जी लाल रक्त कण बनाने में सहायक है और आँखों की अच्छी देखभाल करती है तथा पाचन तंत्र को साफ रखती है । इस के बीज कई बीमारियों के उपचार में बहुत लाभकारी हैं । इसकी पकी हुई सब्जी स्वास्थ्यकर और कम कैलोरीवाला आहार है । मधुमेह और मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए यह उत्कृष्ट आहार है ।

संतरा

संतरा प्रकृति के उत्तम उपहारों में से एक है । यह बहुत लोकप्रिय और प्रचलित रसदार फल है । यह बहुत स्वाष्टि और पोषक फल है । संतरे का उद्‌गम स्थान दक्षिण चीन है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका आगमन दक्षिण भारत में हुआ । भारत में ढीले छिलकेवाला संतरा महाराष्ट्र (नागपुर और पुणे) और असम में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है ।

संतरा एक पूर्वपचित आहार है, क्योंकि संतरे का स्टार्च सूर्य की किरणों द्‌वारा आसानी से घुलनेवाली शर्करा में परिवर्तित हो जाता है । अंत: यह खून में आसानी से सोख लिया जाता है । उपयोग के तुरंत बाद यह शरीर को ऊर्जा देता है । संतरा सभी प्रकार के बुखारों में उत्कृष्ट आहार है । संतरे का रस टायफॉइड, क्षय रोग, खसरे में बहुत आदर्श तरल आहार है । इससे शक्ति मिलती है और संक्रमण के विरुद्ध शरीर की प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती है । अत: स्वास्थ्य लाभ शीघ्र होता है ।

संतरा कैल्सियम और विटामिन 'सी' का उत्कृष्ट स्रोत होने के कारण हड्डी और दाँत की बीमारियों में उपयोगी है । संतरे का रस शहद के साथ लेना हृदय रोग में बहुत लाभकारी है । संतरे का नियमित उपयोग सामान्य सर्दी और रक्तस्राव के बार-बार के हमले को रोकता है । इससे व्यक्ति स्वस्थ एवं मज़बूत रहता है ।

संकलित

राजभाषा अनुभाग

महादेवी वर्मा - एक परिचय

हिंदी साहित्य में छायावादी काल के प्रमुख चार स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फ़रुखाबाद, संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध, ब्रिटिश भारत में हुआ और मात्र 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु 11 सितम्बर 1987 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत में हुई । महादेवी वर्मा एक ऐसी कवयित्री हैं, जिन्होंने भारत की गुलामी और आजादी दोनों के दिन देखकर साहित्यिक रचनाएं की है । इनके परिवार में पहले कई पीढ़ियों से लड़कियां नहीं हुई इस कारण जब ये पैदा हुई तो इनके दादाजी बाबा बाबू बाँके विहारी जी ने इनको घर के देवी मानते हुए इनका नाम महादेवी रख दिया ।

महादेवी वर्मा के पिता जी गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर जिले के एक महाविद्यालय में प्राध्यापक थे । इनकी माताजी हिंदू धर्म के सिंहासनासीन भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी । इनका संपूर्ण परिवार रामायण, गीता का पाठ किया करता था ।

हिंदी साहित्य के अपने जीवन काल में छायावादी युग को अपने अनुसार डाल और उस युग में इनके साथी सुमित्रानंदन पंत और निराला जी को इन्होंने अपना भाई माना और उनको राखी भी बांधती थी ।

महादेवी वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर से की और उन्होंने चित्रकला, संस्कृत, अंग्रेजी की पढ़ाई घर पर रहकर की । विवाह के कारण महादेवी वर्मा की शिक्षा में थोड़ी रुकावट आए लेकिन विवाह के बाद उन्होंने क्रास्थवेट कॉलेज, प्रयागराज में दाखिला लिया और हॉस्टल में ही रहने लगी । इन्होंने 1921 में आठवीं बोर्ड और 1925 में 12वीं कक्षा पास की । 1932 में इन्होंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से एम.ए किया और इनकी दो कविता संग्रह रश्मि और विहार इस उम्र में प्रकाशित हो चुके थे ।

विद्यालय में मित्र मोहन कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनको बहुत प्रभावित किया और इन को आगे बढ़ने में इनका बहन की तरह साथ दिया । महादेवी वर्मा का विवाह 1916 में नवाबगंज गंज कस्बे के स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया । लेकिन उस समय स्वरूप नारायण जी दसवीं कक्षा में थे और महादेवी वर्मा उस समय छात्रावास में रहती थी इस कारण इनके बीच जो संबंध था वह मधुर बना रहा और कभी-कभी यह पत्रों से आपस में बातचीत भी किया करते थे । इनके पति की मृत्यु 1966 में हुई जिसके बाद ये इलाहाबाद में ही रहने लगी ।

महादेवी वर्मा के काव्य की भाषा शैली और शब्दावली

इन्होंने अपनी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया और इतने कोमलता से किया की वे पहले ब्रज भाषा में ही किया गया लेकिन इन्होंने खड़ी बोली को चुना । इनके काव्य में संस्कृत से पढ़ी होने के कारण संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है और इन्होंने बंगला भाषा से भी अपना जुड़ाव दिखाया है । महादेवी वर्मा का काव्य गीतिकाव्य है उनके काव्य में दो शैलियाँ प्रमुखत: चित्र शैली, प्रगति शैली दिखाई देती हैं । महादेवी वर्मा की भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है।

महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं

कविता संग्रह

महादेवी वर्मा के आठ कविता संग्रह है जिनमें निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, सांध्यगीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में, प्रथम आयाम 1974 में अग्निरेखा 1990 में प्रकाशित हुए।

काव्य संकलन

देवी वर्मा जी के 10 से ज्यादा काव्य संकलन प्रकाशित हुए जिनमें से आत्मिका, निरन्तरा, परिक्रमा, सन्धिनी 1965 में यामा 1936 में गीतपर्व, दीपगीत, स्मारिका और हिमालय उल्लेखनीय हैं ।

रेखाचित्र

महादेवी वर्मा के प्रमुख रेखा चित्रों में **अतीत के चलचित्र 1941 में और स्मृति की रेखाएं 1943 में श्रृंखला की कड़ियां और मेरा परिवार** उल्लेखनीय हैं ।

संस्मरण

महादेवी वर्मा ने 1956 में पद का साथी और 1972 में मेरा परिवार स्मृति चित्रण 1973 में और संस्मरण 1983 में उल्लेखनीय संस्मरण लिखे ।

निबंध संग्रह

महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध संग्रह में श्रृंखला की कड़ियां 1942 में प्रकाशित हुई और विवेचनात्मक गद 1942 साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध 1962 संकल्प 1969 और भारतीय संस्कृति के स्वर उल्लेखनीय है । क्षणदा महादेवी वर्मा का एकमात्र ललित निबंध ग्रंथ है । महादेवी वर्मा के प्रमुख कहानी संग्रह में गिल्लू प्रमुख है । इनका संभाषण नामक भाषण संग्रह 1974 में प्रकाशित हुआ।

महादेवी वर्मा के कविता संग्रह

देवी वर्मा के प्रमुख कविता संग्रह में ठाकुरजी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला प्रमुख है ।

महादेवी वर्मा को मिली प्रमुख पुरस्कार और सम्मान

महादेवी वर्मा को 1943 में मंगलाप्रसाद पारितोषिक भारत भारती के लिए मिला ।
महादेवी वर्मा को 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए मनोनीत भी किया गया ।
1956 में भारत सरकार ने साहित्य की सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण भी दिया ।
महादेवी वर्मा को मरणोपरांत 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया ।
महादेवी वर्मा को 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय तथा 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी ने इनको डी.लिट (डॉक्टर ऑफ लेटर्स) की उपाधि दी ।
महादेवी जी को 1934 में नीरजा के लिए सक्सेरिया पुरस्कार दिया गया ।
1942 में स्मृति की रेखाएं के लिए द्विवेदी पदक दिया गया ।
यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया ।

महादेवी वर्मा के बारे में रोचक तथ्य

इनका बाल विवाह किया गया लेकिन इन्होंने अपना जीवन अविवाहित की तरह ही गुजारा । महादेवी वर्मा की रुचि, साहित्य के साथ-साथ संगीत में भी थी । चित्रकारिता में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया । महादेवी वर्मा का पशु प्रेम किसी से छुपा नहीं है वह गाय को अत्यधिक प्रेम करती थी । महादेवी वर्मा के पिताजी मांसाहारी थे और उनकी माताजी शुद्ध शाकाहारी थी । महादेवी वर्मा कक्षा आठवीं में पूरी प्रांत में प्रथम स्थान पर रही । महादेवी वर्मा इलाहाबाद महिला विद्यापीठ की कुलपति और प्रधानाचार्य भी रही । यह भारतीय साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला थी जिन्होंने 1971 में सदस्यता ग्रहण की ।

महादेवी वर्मा की प्रमुख पंक्तियाँ

मैं नीर भरी दुख की बदली
परिचय इतना इतिहास यही
उमडी कल थी, मिट आज चली

पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीडा ।
तुमको पीडा में ढूँढ़ा तुममें ढूँढ़ती पीडा ।।

जो तुम आ जाते एक बार ।
कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग

मधुर मधुर मेरे दीपक जल
युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल
प्रियतम का पथ आलोकित कर

मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूँ

बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ ।
दूर हूँ तुमसे अखण्ड सुहागिनी भी हूँ ।।

महोदवी के काव्य में वेदना और करूण स्वर की प्रमुखता के कारण इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है । 'मैं नीर भरी दुख की बदली' महादेवी के काव्य में व्याप्त दुख या वेदना उस समय की स्त्रियों के दुःखों का दस्तोवज है जो उस समय में स्त्रियों की स्थिति का प्रकटीकरण करती है । महादेवी की प्रकृति वियोगिनी है और वह कवयित्री के भाव जगत में पूर्ण रूप से व्याप्त है । महोदवी करुण विचारों के मंच पर अपने जीवन के मुरझाए हुए फूलों को सजाया है ।

महोदवी ने अपने गीतों में भावना की संवेदनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण तथा उनके सुख-दुखमय विशषतः संस्पर्शों का चित्रण किया है । वेदना का यह स्पर्श महादेवी की भावना जगत में अधिक गहरी तीव्र, मर्मस्पर्शी होकर मिलती है । महादेवी का मानना है कि सुख तो क्षणिक हैं वेदना ही चिर स्थायी है । महादेवी के गीतों में इस वेदना के पीछे एक प्रमुख कारण यह है कि वह नारी है और उन्हें अपनी सारी मर्यादाओं को न लांघ सकने की अपनी अभिव्यक्ति के प्रति इतनी नैतिक शुद्धता एवं आत्मिक दीप्ति है । इसके साथ ही उनकी वाणी में सूक्ष्म बौद्धिकता से मिश्रित तरल करूण और समर्पण की भावना है ।

मीरा रॉय
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

माँ का आँचल कितना प्यारा

माँ आँचल कितना प्यारा,
दुनिया में है सबसे न्यारा ।
जब वो हमें आँचल में ले ले,
हमसे वो दुनिया के सारे गम ले ले ।।

माँ के जैसा निश्छल प्रेम,
जग में दूजा न दे पाता ।
प्रेम वत्सला उसके जैसी,
जग में पिता भी न दे पाता ।।

हमको जब वो जनम है देती,
न जाने वो कितने दु:खों को है सहती ।
लालन-पालन में कभी कमी न रखती,
कितने प्रेम से हमें वो है सेती ।।

जब वो सिर पर हाथ फेरती,
सारे जग का प्यार हमें दे देती ।
मानों या न मानों सारे जग में,
सबसे प्यारा नाता माँ का ।।

जी.मुहम्मद कासिम
हिन्दी टंकक

Munitions India Limited
विनाशाय दुष्कृताम्
C F A
"A PANORAMA"
UNVEILED BY
SHRI PANKAJ GOEL, IOFS
GENERAL MANAGER
CORDITE FACTORY ARAVANKADU